/ निगरानी / छतरपुर / भू.रा / 2017 / 1748

समक्ष में- माननीय राजस्व मण्डल , ग्वालियर म0प्र

(20)

पुनरीक्षण क्रमांक

चतुरा तनय भूरे काछी

निवसी -छतरपुर तहसील व जिला -छतरपुर म.प्र

विनोद भार्गव ...
12-6-17

निगरानीकर्त /आवदेक

12-6-17 बनाम

मध्य प्रदेश शासन ....गैरनिगरानीकर्ता /अनावेदक पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक 15/5/17 जो 19/05/17 छतरपुर द्वारा ममाला क्रमांक 54/अ6अ/2016-2017 को पारित किया।

श्रीमान् ,

विनोद भार्गव
एडवोकेट
अभिभाषक
12-6-17

पुनरीक्षणकर्ता निम्निलिखित निवेदन सादर प्रस्तुत करना है: -

1-यह कि पुनरीक्षणकर्ता का संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदक को सक्षम अधिकारी नायव तहसीलदार छतरपुर द्वारा दिनांक 20/11/1976 को नामांतरण पंजी क्रमांक 22 वर्ष 1975-76 के द्वारा भूमि खसरा नं. 841 के अंश भाग का गैर हकदार से भूमि स्वामी किए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन ग्राम पटवारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन न कर उक्त आदेश दिनांक 20/11/1976 का अमल राजस्व अभिलेखो में नही किया वल्कि मनमाने रूप से शासन म.प्र भूमि पर वगैर किसी समक्ष अधिकारी के आदेश के लेख कर दी ।

2-यह कि प्रश्नगत भूमि का स्वामी होने के कारण आवेदक द्वारा अपनी भूमि पर पहले कच्चा तत्पश्चात् पक्का मकान बनालिया जो

नि.अ.प.कु.२।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग.–1748–एक / 2017 जिला–छतरपुर

चतुरा विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–10–18	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री सुनील जादौन एवं शासकीय अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। (2) आवेदक अभिभाषक अपने निगरानी आवेदन को चालाना नहीं चाहते है, उनके द्वारा Not press of Application का अनुरोध किया है। (3) शासकीय अभिभाषक को उक्त अनुरोध पर आपत्ति नहीं है। (4) दिनांक 07.09.2017 की आदेश पंजिका अनुसार आवेदक का आवेदन ग्राह्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मांगा गया था, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होने के कारण नस्ती में सलग्न नहीं है। (5) आवेदक अभिभाषक के अनुरोध को स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (6) अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख नहीं भेजने हेतु भी लिखा जाये। 10.10.18 (आर.के. जैन) सदस्य	